(एसडीओ) बाडमेर

आदेश

20.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र चूली पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 41 गैर मुमकीन मगरी पर प्रार्थी को अतिक्रमी बताकर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाडमेर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्रवाई हेतु नॉटिस जारी किया, जिसके जवाब में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 197/33 पर कदीमी कब्जा व काश्त होना बताया है तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर 41 पर उसका कोई अतिक्रमण नही रहा व न ही काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसके विरूद्ध धारा 91 आरएलआर की कार्रवाई स्थगित कर दी। पुनः अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसकी खातेदारी भूमि की सीमा में वृक्षों यथा नीम, बबूल, खेजड़ी, जाल आदि को हटाने तथा उसके परिवार को बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में ही पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण करवाया है और अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसके इस कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नॉटिस राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का ग्राम हापों की ढाणी के वादग्रस्त खसरा

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 1364/2017 अनवान कानाराम बनाम राजस्थान सरकार**
	नम्बर 41 पर अतिक्रमण है, जिसे बेदखल करने का अप्रार्थी संख्या 01 को पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का राजकीय भूमि पर अतिक्रण होने से अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner